भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2321

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में पीएमएवाई-यू के तहत परियोजनाओं की वित्तपोषण संरचना

2321. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आरंभ की गई परियोजनाओं की वित्तपोषण संरचना का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या केंद्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 2016 से, विशेष रूप में महाराष्ट्र में, पीएमएवाई-यू में उसका योगदान नहीं बढ़ रहा है और यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का उक्त योजना में अपना योगदान बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। हालाँकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के तहत आवासों का निर्माण केंद्रीय सहायता, राज्य के हिस्से के साथ-साथ लाभार्थी के योगदान से किया जा रहा है। भारत सरकार ने पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटक के तहत 1.5 लाख रुपये की निश्चित केंद्रीय सहायता प्रदान की है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, आवास की शेष लागत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है। हालांकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवासों को किफायती बनाने के लिए अपने हिस्से का योगदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन

पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभवों से सीख लेकर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। बीएलसी, एएचपी और एआरएच घटक को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है, और आईएसएस घटक को आवास वित्त कंपनियों और प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉपोरेशन (हडको) जैसी चिन्हित केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत आवासों की खरीद/निर्माण के लिए आवश्यक निधि केंद्र सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियों और लाभार्थियों के बीच साझा की जाती है। आवासों को और अधिक किफायती बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य का हिस्सा बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है तथा योजना के अंतर्गत अनिवार्य राज्य अंश का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएवाई-यू 2.0 घटक		
		बीएलसी और एएचपी	एआरएच	आईएसएस
1.	उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र)	केंद्र सरकार - 2.25 लाख रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार - न्यूनतम 0.25 लाख रुपए प्रति यूनिट	प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान भारत सरकार: 3,000/ रुपए वर्गमीटर प्रति इकाई राज्य का हिस्सा: 2,000/रुपए वर्गमीटर प्रति इकाई	गृह ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रुपए (वास्तविक रिलीज) तक
2.	सभी विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	केंद्र सरकार - 2.50 लाख रुपए प्रति यूनिट		
3.	अन्य सभी राज्य	केंद्र सरकार - 1.50 लाख रुपए प्रति यूनिट राज्य सरकार - न्यूनतम 1.00 लाख रुपए प्रति यूनिट		

*****